उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा)अनुभाग-2
संख्या-1/2022 / ए-2- 06 /दस—2022-10 (9)/95
लखनऊ: 08 जनवरी, 2022
कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा अन्य रेमिटेंस विभागों में शासनादेश संख्या-ए-1-3244/ दस-73, दिनांक 11-12-1973 द्वारा दिनांक 01-04-1974 से व्यय के आहरणों के सम्बन्ध में सी.सी.एल. प्रणाली लागू की गई थी। शासनादेश संख्या-ए-2-47/दस-97-10 (9)/95 दिनांक 03 मार्च, 1997 द्वारा अधिष्ठान मदों के व्यय का संचालन,सी.सी.एल. प्रणाली से बाहर रखते हुये अन्य विभागों की भाँति कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने, किन्तु विभाग के 'कार्य मदों' (अधिष्ठान से भिन्न मदों) के व्ययों को पूर्व की भॉति सी.सी.एल. प्रणाली के अन्तर्गत ही रखने का निर्णय लिया गया था।

2- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 'कार्य मदों' के व्यय हेतु चेक प्रणाली के समाप्त हो जाने व कोषागारों के माध्यम से ई-पेमेण्ट के संचालन के उपरान्त वर्तमान प्रचलित सी.सी.एल. प्रणाली की प्रसांगिकता समाप्त हो गयी है।अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय लेन-देन, लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता व एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्य मदों के व्यय को भी सी.सी.एल. प्रणाली से मुक्त रखते हुये अन्य विभागों की भाँति सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने का निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक01-04-2022) से अनुदान संख्या-94 के मदों हेतु सी.सी.एल. प्रणाली को समाप्त कर इसके स्थान पर अन्य विभागों में प्रचलित ऑनलाइन बजट व्यवस्था व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली को लागू किया जायेगा।

(2) सी.सी.एल. के स्थान पर बजट आवंटन के अन्तर्गत संबंधित खण्ड के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार की ऑनलाइन प्रणाली से बिल जनरेट कर कोषागारों को पारण हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। बिल पारण,लेखा संकलन व लेखा मिलान की वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो कोषागार प्रणाली से आच्छादित अन्य विभागों में अपनायी जाती है।

(3) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के खण्डों द्वारा सी.सी.एल.प्रणाली के अन्तर्गत मासिक लेखे तैयार कर सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी । इसके स्थान पर विभाग के मासिक लेखे अन्य विभागों की भाँति कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत तैयार कर कोषागारों द्वारा महालेखाकार को प्रेषित किये जायेंगे।

(4) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में जमा साख सीमा (डिपाजिट क्रेडिट लिमिट) की वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न करते हुये इसे पूर्ववत बनाये रखा जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से लागू होगी । इस संशोधित व्यवस्था के लागू होने पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए सी0सी0एल0 प्रणाली से सम्बन्धित पूर्व आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे ।

4- वित्तीय नियम संग्रह में यथावश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे ।

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या–ए-2- 06 (1)/दस-2022,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।
(2) अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
(3) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि संशोधित व्यवस्था से समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारियों, उ0 प्र0 को अपने स्तर से अवगत कराने को कष्ट करें।
(4) उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर 208001
(5) महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/ नई दिल्ली ।
(6) प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
(7) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
(8) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ ।
(9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(10) अतिरिक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
(11) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
आर.एल.त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in